न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2024/255

1. सुरेश यादव पुत्र श्री साधुराम यादव, निवासी–वीर तेजाजी नगर, खेलना, पावटा जिला जयपुर।

–अपीलार्थी

बनाम

1. जरिये लैण्ड होल्डर तहसील पावटा जिला जयपुर राजस्थान।

–रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी, पावटा जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड दिनांक 17.11.2021

उपस्थित–

1. श्री रामबाबू पारीक वकील अपीलान्ट

निर्णय

दिनांक 26.06.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान के निर्णय दिनांक 17.11.2021 के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा–5 एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी.के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. यह कि संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है, कि यह कि वाके ग्राम वीर तेजाजीनगरतहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड स्थित आराजी खसरा नंबर 3359, 3463, 3496, 3497, 3502, 3505, **3506, 3518**, 3521, 3522, 3523, 3549, 3548, 3546, 3525, 3534, 3546, 3538, 3539, 3537, 3540, 3251, 3252, 3245, 3246, 3247कुल किता 26 भूमि के संबंध मेंतहसीलदार पावटा द्वारा रास्ते प्रस्ताव भिजवाये जाने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड द्वारा भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में किस्म गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिनांक 17.11.2021 को दिये गये

3. उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोडके उक्त निर्णय दिनांक 17.11.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट सुरेश यादव पुत्र श्री साधुराम यादवद्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी पावटा दिनांक 17.11.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर अपीलांट के योग्य अधिवक्ता की बहस, बहस एडमिशन पर सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया किवाके ग्राम वीरतेजाजी नगर तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड स्थित भूमि खसरा नंबरान 3518, 35081 के अपीलांट्स काबिज रिकाड्रेड खातेदार है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलार्थीगण को बिना कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही एक पक्षीय रूप से राजस्व रिकार्ड व नक्शे में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का जो एक पक्षीय रूप से आदेश पारित किया है, वह पूर्णतया एकपक्षीय, क्षेत्राधिकार–विहीन एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं तथा अपीलान्ट खादारान को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही तहसीलदार, पावटा द्वारा की गई एक पक्षीय मौका निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्टस् की खातेदारी में वे एक पक्षीय रूप से नया रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये है। प्रकरण में अपीलान्टस् एवं अन्य खातेदारों को, सुनवाई, जवाब, शहादत, सबूत, आदि प्रस्तुत करने का कतई कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया, तथा न ही विधिक प्रक्रिया का ही कोई पालन किया गया। प्रार्थीगण की भूमि में कभी कोई रास्ता नही रहा न मौके पर कोई रास्ता है। अपीलार्थी के खसरा नं. के आरा पारा भी उत्तर से दक्षिण भी पूर्व में भूमि ली जा चुकी है। अब पुनः उसकी भूमि दो भागो में विभाजित करते हुये रास्ता दर्ज कर दिया। पटवारी हल्का ने बिना मौका पर गए रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की है न मौके रिपोर्ट बनाने बाबत कोई नोटिस ही दिया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों की जॉच व अवलोकन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड 17.11.2021 निरस्त किया जावे।

6. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं अपीलांट के योग्य अधिवक्ता की बहस, बहस एडमिशन पर मनन किया। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. प्रभावित पक्षकार होने की स्थिति में स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट है कि रास्ता कदीमी रूप से मौके पर चालू एवं स्थायी रास्ता है। जिससे माना जा सकता है कि मौके पर प्रचलित कदीमी रूप से चाल एवं स्थाई प्रकृति के रास्ते को ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के निर्देश दिए गए है। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प3(2) राज./6/2003 पार्ट/दिनांक 10.08.2016 के परिपत्र के अनुसार ऐसे स्थायी रास्ते जो राजकीय/निजी भूमियों में से चालू हैं, किन्तु इनका अंकन राजस्व अभिलेख में नहीं है तथा ऐसे स्थायी सार्वजनिक रास्ते जो बाहरमासी हैं तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार बदलते नहीं हैं तथा आमजन के आने–जाने हेतु उपलब्ध हैं, ऐसे रास्तो का अंकन राजस्व अभिलेख में भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 एवं भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों के अुनसार किया जावेगा। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड द्वारा इस संबंध में पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार की अभिशंसा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 एवं भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों व पहलुओं पर विचार कर विधिक प्रक्रिया के तहत् रास्ते के अंकन किये जाने को निर्णय पारित किया गया है इससे खातेदारी अधिकार प्रभावित नहीं होते है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.11.2021 के लगभग 02 वर्ष 07 माह बाद अपील पेश की है तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 कानून मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों की पुष्टि में एवं विलम्ब के कारणों की पुष्टि हेतु कोई ठोस विधिक दस्तावेज/साक्ष्य पेश भी नहीं किया है। जिससे यह साबित हो सके कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं थी। ऐसी दशा में प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा–5 खारिज किया जाता है।

क्षेत्रीय आयुक्त
जयपुर

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट इसी स्तर पर निरस्त की जाती है।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 26.06.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर